UPME010077732026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2037/2026

शुऐब पुत्र अ0 कलाम, निवासी साफियाबाद लौटी, थाना–मुण्डाली, जिला–मेरठ।
............प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–78/2026
अं0धारा–191(2),191(3),190,74,115(2), 352, 109(1) बी0एन0एस0
थाना–मुण्डाली, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.............श्री सलीम अहमद, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..................... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

दिनांक–29.05.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त शुऐब की ओर से मुकदमा अपराध सं0–78/2026, अं0धारा–191(2),191(3),190,74,115(2),352,109(1) बी0एन0एस0, थाना–मुण्डाली, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 05.04.2026 को वादी की बहन शादी से नाश्ता कर घर वापस लौट रही थी, रास्ते में अब्दुल कलाम, आल्फिया, कलाम व महसरजहां उसकी बहन के साथ अभ्रद भाषा बोलते हुए मारपीट व गंदी गंदी गालियां देने लगे, विरोध करने पर परिवार के लोगों ने जान से मारने की नीयत से तमंचे की बट व धारधार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एहतशाम, सनव्वर व असववर को गंभीर चोटें आयी, जिन्हें खरखौदा अस्पताल भेजा गया, जहां एहतशाम की हालत ज्यादा नाजुक बतायी, जिसे प्यारेलाल अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया।

4. प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- मामला क्रासकेस पर आधारित है, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा अपने परिजनों को बचाने के लिए यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
- प्रश्नगत घटना की बाबत एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें बिना किसी हथियार के निहत्थे ही मु0अ0सं0–79 / 2026 की वादिया को बचाये जाने का घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल है।
- कथित घटना में किसी भी व्यक्ति की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दर्शायी गयी है।
- मजरूब को कोई प्राणघातक चोट नहीं आयी है।
- सह–अभियुक्तगण की जमानतें सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं।
- तद्नुसार प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष के लोगों पर जान से मारने की नीयत से तमंचे की बट, धारधार हथियार व लाठी डंडों से हमला किया गया है, जिसमें मजरूबगण को चोटें आयी हैं। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता,

जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष के लोगों पर जान से मारने की नीयत से तमंचे की बट, धारधार हथियार व लाठी डंडों से हमला किये जाने का अभियोग लगाया गया है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण क्रासकेस पर आधारित है, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आयी है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

10. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में चोटहिलगण को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है और सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

11. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि मजरूब सनव्वर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे आयी चोटें किसी तेज धारदार हथियार से पहुंचायी गयी थी। अन्य चोटहिलगण को आयी चोटें किसी सख्त एवं कठोर वस्तु से पहुंचायी गयी थी। केस डायरी के पर्चा सं0–7 में मजरूबगण द्वारा अपने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

12. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसे दौरान विवेचना गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। मजरूब सनव्वर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर दो चोटें पायी गयी है, जिसमें एक चोट उसके बाये कान पर कटे हुए घाव की व दूसरी चोट घाव के रूप में थी, जिन्हें जेरे निगरानी रखते हुए, ई0एन0टी0 व एक्सरे की सलाह दी गयी। मजरूब तसव्वर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर तीन चोट पायी गयी, जिसमें से चोट सं0–2 व 3 को साधारण प्रकृति का तथा चोट सं0–1 दर्द व सूजन की चोट को जेरे निगरानी रखा गया। मजरूब एतेशाम की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर चार चोटें पायी गयी, जिसमें से चोट सं0–4 को साधारण प्रकृति का

होना पाया गया, चोट सं0–1 को जेरे निगरानी रखा गया, चोट सं0–2 व 3 सूजन व कालिमायुक्त पायी गयी। एक्सरे की सलाह दी गयी।

12. अभियोजन की ओर से कोई पूरक परीक्षण आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही संबंधित चिकित्सक का कोई बयान केस डायरी में दर्ज किया गया है। मामला क्रासकेस पर आधारित है, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आयी हैं। दोनों पक्षों की ओर से एकदूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

13. अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नलिखित है–

क्रम सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**
1	108/2025	109,115(2),118(1), 351(2),352	
2	239/2025	351(2),352	
3	67/2026	351(2),352	

14. यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु आपराधिक इतिहास मात्र जमानत प्रार्थनापत्र का निरस्त किये जाने का आधार नहीं है।

13. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

14. इस मामले के सह–अभियुक्तगण अब्दुल कलाम, आदिल, जाकिर व मुस्लिम के नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका जमानत प्राप्त किये गये सह–अभियुक्तगण के समान है।

15. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त शुऐब द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।

3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।

4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।

6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 29.05.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)